हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

पंद्रहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 139

शनिवार, 13 अगस्त, 2022/22 श्रावण,1944 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न काल आरम्भ होने की घोषणा से पहले ही **श्रीमती आशा कुमारी, सदस्या** ने नियम-67 के अंतर्गत ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना के दृष्टिगत उस पर चर्चा कराये जाने का विषय उठाया।

इस पर **माननीय अध्यक्ष** ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होने दीजिए उसके बाद इस पर चर्चा कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष की टिप्पणी से कांग्रेस विधायक दल के सदस्य असहमति जताते हुए अपनी बात पर अड़े रहे और अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर पहले चर्चा करवाने की मांग करने लगे।

(कांग्रेस विधायक दल के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे तथा प्रतिक्रियास्वरूप पक्ष के माननीय सदस्य भी नारेबाजी करने लगे।)

माननीय अध्यक्ष ने सभी से अपने-अपने स्थान पर बैठने की अपील की।

(11.10 बजे पूर्वाह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्य सदन के बीचोंबीच आकर नारेबाजी करने लगे।)

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

"दिनांक 12.08.2022 को 4.52 बजे अपराह्न श्रीमती आशा कुमारी जी एवं अन्य विपक्षी माननीय सदस्यों की ओर से नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जोकि निम्न प्रकार से हैः-

"Intervention of the Government on Old Pension Scheme, various other demands of the State employees." इस संदर्भ में मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि दिनांक 11.08.2022 को विपक्ष ने नियम-278 के अंतर्गत सदन में मंत्री-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव लाया था जिस पर सदन में बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। चर्चा के दौरान बहुत से माननीय सदस्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में चर्चा की तथा माननीय मुख्य मंत्री ने विस्तृत उत्तर भी दिया था। बार-बार एक ही विषय पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं रहता। अतः मैं नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत करता हूं।"

(माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था से असहमति प्रकट करते हुए कांग्रेस विधायल दल के सभी माननीय सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचोंबीच आ गए।)

शोरगुल के बीच **अध्यक्ष महोदय** ने प्रश्नकाल आरंभ करने की घोषणा की।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 4720 व 4762 (स्थगित) के उत्तर पर सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्नः 4869(स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया।

(11.20 बजे कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा नियम-67 का दुरूपयोग किया जा रहा है क्योंकि नियम-67 में एडजॉर्नमैंट तब होती है अगर अपरिहार्य कारणों से कोई ज्वलंत समस्या उत्पन्न हो जाए और सारी कार्रवाई को स्थगित करना पड़े लेकिन इस विषय पर पहले ही सदन में चर्चा हो चुकी है। उन्होंने विपक्ष के

रवैये की तीव्र निंदा करते हुए कहा कि इन्होंने केवलमात्र सुर्खियों में बने रहने के लिए बहिर्गमन किया है।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि आज इस मानसून सत्र का अंतिम दिन है और विपक्ष का इस तरह से प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण समय में बाहर चले जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ओ.पी.एस. कांग्रेस के कार्यकाल में ही बन्द हुई थी और हिमाचल प्रदेश ओ.पी.एस. को बन्द करने वाला प्रथम राज्य था। उन्होंने विपक्ष द्वारा इस प्रकार बिना किसी मुद्दे के सदन से बहिर्गमन करने की घोर शब्दों में निंदा एवं भर्त्सना की।

तारांकित प्रश्नः 5036 (स्थगित) के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 5309 व 5311 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 5310 के उत्तर पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 5312, 5313, 5315, 5317 से 5333 तथा 5335 से 5346 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 5314 माननीय सदस्य द्वारा वापिस लिया गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 5316 तथा 5334 विलोपित किए गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 998, 1080 व 2080 (स्थगित) तथा 2284 से 2309 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(दोपहर 12.00 बजे कांग्रेस विधायक दल के सदस्य सदन में वापिस आए।)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र राणा ने जिला मण्डी के ऐतिहासिक मंदिर कमरूनाग के बारे में समाचार पत्र में छपी खबर "सोना-चांदी लूटने कमरूनाग झील में लाठियां लेकर घूसे शातिर" की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया।

मुख्य मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने इस काम को अन्ज़ाम दिया है, उन्हें बक्शा नहीं किया जाएगा और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके

अलावा वहां स्थापित सी.सी.टी.वी. को भी दुरुस्त करना सुनिश्चित किया जाएगा।

माननीय वन मंत्री ने **श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु** द्वारा मीडिया में दी गई स्टेटमैंट कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्री (नाम सहित)उनके सम्पर्क में है, के बारे में आपत्ति दर्ज़ करते हुए सदन के ध्यान में विषय लाया।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य ने **वन मंत्री** की स्टेटमैंट के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु अध्यक्ष महोदय से समय देने की मांग की तथा चाहा कि यदि उन्होंने ऐसी स्टेटमैंट किसी अख़बार में दी है तो उस अख़बार की प्रति माननीय वन मंत्री सभा पटल पर रखें।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि अब यह स्टेटमैंट करोड़ो लोगों तक पहुंच चुकी है और इस तरह का वक्तव्य देना सही नहीं है।

उद्योग मंत्री ने सुखविन्द्र सिंह सुक्खु की स्टेटमैंट का खण्डन करते हुए कहा कि यह बिल्कुल गलत स्टेटमैंट है।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि सामाजिक जीवन में हरेक व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा होती है इसलिए ऐसी बातें करने से परहेज़ करना चाहिए।

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

"**माननीय वन मंत्री** ने मुझे मोबाइल पर अखबार में छपी खबर को दिखाया है और मैंने उन्हें इन कागज़ातों को सभा पटल पर उपस्थापित करने हेतु कहा है। इसमें हैडिंग लिखा है कि "वन मंत्री, उद्योग मंत्री व अन्य कई मंत्री जनाब के सम्पर्क में हैं।" इसमें यह भी लिखा है कि "सुक्खु बोले, भाजपा से टिकट नहीं मिलने वाले कांग्रेस में आएंगे।"

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी

(i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 (वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार;और

(iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iv) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014(2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा-54 के साथ पठित धारा 9(3) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय, गृह(सतर्कता) विभाग, अवर सचिव, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याःगृह(विज)-ए(3)-2/2021(लोका)-नियम दिनांक 07.06.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.06.2022 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014(2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा-54 के साथ पठित धारा 9(3) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय, गृह(सतर्कता) विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याःगृह(सतर्कता)ए(3)-9/2016 लोकायुक्त (आर एण्ड पी)नियम दिनांक 07.06.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.06.2022 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा-54 के साथ पठित धारा 9(3) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय, गृह(सतर्कता) विभाग, वरिष्ठ निजी सचिव, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याःगृह(विज)-ए(3)-3/2021(लोका नियम) दिनांक 18.06.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.06.2022 को प्रकाशित;

(vii) हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा-54 के साथ पठित धारा 9(3) और (4) के

अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, लोकायुक्त कार्यालय, गृह(सतर्कता) विभाग, निजी सचिव, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याःगृह(विज)-ए(3)-6/2021(लोका.नियम) दिनांक 10.06.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.06.2022 को प्रकाशित;

(viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक(हिमाचल प्रशासनिक सेवा में रिक्तियों का आरक्षण, वेतन नियतन और वरिष्ठता का विनियमन) प्रथम् संशोधन नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(ए-IV)-ए(3)-1/2018-I दिनांक 18.05.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.05.2022 को प्रकाशित;

(ix) जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40(7) तथा वायु (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक लेखे वर्ष 2018-19 व 2019-2020 (विलम्ब के कारणों सहित);

(x) जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-2021;

(xi) हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971(1971 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 7 और 7-क के साथ पठित धारा 13 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के(मोटर कार और भवन निर्माण के लिए अग्रिम) संशोधन नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याःजीएडी-सी0-डी0(6)-1/2019 दिनांक 21.02.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.02.2022 को प्रकाशित;

(xii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग हिमाचल प्रदेश का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-2019;

(xiii) राज्य मानवाधिकार आयोग, हिमाचल प्रदेश के अधिनियम, 1993 की धारा-28 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-2021(01-04-2020 से 31-03-2020);

(xiv) राज्य मानवाधिकार आयोग, हिमाचल प्रदेश के अधिनियम, 1993 की धारा-28 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-2022(01-04-2020 से 31-03-2021);

(xv) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परषिद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-2019;

(xvi) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परषिद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-2020;

(xiii) संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परषिद् के वार्षिक लेखे वर्ष 2018-19, 2019-2020 व वर्ष 2020-2021 एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 व वर्ष 2019-2020; और

(xiv) हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के प्रक्रिया और संचालन नियम 2004 के नियम-16 के उपनियम-12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022.

(2) **श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 43) की धारा-24 के साथ पठित धारा-110 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड विनियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याःरैव-सी(एफ)9-4/2018-लूज़ दिनांक 28.06.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.06.2022 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम-3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-6 (1) और (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2014-2015 से 2017-2018 (01-04-2014 से 31-03-2018) (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम-3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-6 (1) और(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2020-2021(01-04-2020 से 31-03-2021).

(4) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, तकनीकी शिक्षा मन्त्री** ने नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी0पी0सी0) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम सीमित का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2019-2020 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(5) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2018 एवं 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन; और

(ii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2020-2021.

(6) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित के अधिनियम, 2013 की धारा-143 (6)(बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम के 47वें वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2019-2020 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, उप-निदेशक(परिवहन) वर्ग-I(राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याःटी0पी0टी0-बी(1)-1/2020 दिनांक 03.08.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.08.2022 को प्रकाशित;

(iii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-143 (6)(b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित का 53वां वार्षिक विवरण, वर्ष 2018-19(विलम्ब के कारणों सहित);और

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, मुख्य निरीक्षक(बॉयलरज़), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2022 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-बी-बी002/8/2021 दिनांक 18.05.2022 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.05.2022 को प्रकाशित।

(7) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग अधिनियम, 2010 की धारा 13(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-2019, 2019-2020 व वर्ष 2020-2021 की प्रतियां सभा पटल पर रखी।

(8) **श्री सुख राम चौधरी, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(4) के अन्तर्गत ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-2021 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति** (वर्ष 2022-2023) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 163वां मूल प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 317वें कार्रवाई प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उच्चत्तर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 10वां मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 360वें कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उच्चत्तर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 141वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित

अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का 163वां मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 275वें कार्रवाई प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि जनजातीय विकास शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(v) समिति का 60वां मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 107वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि वित्त विभाग से सम्बन्धित है;

(vi) समिति का 82वां मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 263वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि वन विभाग से सम्बन्धित है;

(vii) समिति का 153वां मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 227वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उद्योग विभाग से सम्बन्धित है;

(viii) समिति का 26वां मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 197वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि जल-शक्ति विभाग से सम्बन्धित है; और

(ix) समिति का 306वां मूल प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 264वें कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2022-23)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 46वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का 47वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि जनजातीय विकास विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से मामला उठाया कि उन्होंने नियम-75 और 76 के तहत विशेषाधिकारों हनन और सदन की अवमानना के संबंध में एक शिकायत माननीय अध्यक्ष को 10 अगस्त, 2022 को दी थी परन्तु उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने प्रिवीलेज का मुद्दा उठाते हुए उसके तथ्य भी सदन में रखे। इसके अलावा श्री सूरत नेगी के खिलाफ दिए गए विशेषाधिकार के मामले बारे भी निवेदन किया कि इस पर विशेषाधिकार समिति संज्ञान ले।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य ने जो शिकायत दी है, उसे सरकार के पास अगली जानकारी के लिए भेज दिया गया है और अब सरकार उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेगी और रिपोर्ट मांगेगी। जो विशेषाधिकार हनन की बात कही है उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके उपरांत उसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सदस्य** ने दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक **"कसोल से चम्बा की युवती हुई लापता"** से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **श्री अनिरूद्ध सिंह, सदस्य** ने दिनांक 7 अगस्त, 2022 को दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार शीर्षक **"राजधानी शिमला में लम्पी स्किन डिजीज़ का कहर"** से उत्पन्न स्थिति की ओर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि जो सुबह श्री सवुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी द्वारा मीडिया को दी गई स्टेटमैंट के बारे में चर्चा हुई थी जोकि दैनिक जागरण अखबार में खबर छपी थी, उसकी प्रति माननीय वन मंत्री ने सभा पटल पर उपस्थापित कर दी है।

(01.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.15 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 02.20 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने व्यवस्था के माध्यम से प्रश्न उठाया कि आज प्रातः माननीय वन मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रखे गए समाचार पत्र की प्रति जिसमें उनके द्वारा दी गई स्टेटमैंट का जिक्र था, के बारे में उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी जानकारी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दी थी।

5. विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 8)" पर विचार किया जाए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य ने चर्चा की

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3, 4 और 5 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 8)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 8)" पारित हुआ।

(ii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 13)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 13)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 13)" पारित हुआ।

(iii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 14)" पर विचार किया जाए।

श्री राकेश सिंघा, सदस्य और **श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष** ने चर्चा की।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 14))" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 14)" पारित हुआ।

(iV) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 15)" पर विचार किया जाए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य ने चर्चा की एवं अनुरोध किया की बिल पर और विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति को भेजा जाए। के दौरान इस बिल को सलैक्ट कमेटी को भेजने का अनुरोध किया।

(03.15 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

श्री जगत सिंह नेगी तथा **श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य** ने चर्चा की तथा स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ स्पष्टीकरण दिए।

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3, 4, 5 और 6 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 15)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 15)" पारित हुआ।

(V) **श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 6)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 6)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 6)" पारित हुआ।

(Vi) **श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 9)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री महेन्द्र सिंह, जल-शक्ति मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 9)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 9)" पारित हुआ।

(Vii) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 10)" पर विचार किया जाए।

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने चर्चा की।

शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3, 4, 5, 6 और 7 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 10)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 10)" पारित हुआ।

(Viii) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 11)" पर विचार किया जाए।

श्री राकेश सिंघा और **श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य** ने चर्चा की।

(04.30 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य ने चर्चा की एवं चाहा कि हरेक एक्ट में फैमिली की डेफिनेशन को एक जैसा किया जाए।

माननीय शहरी विकास मंत्री ने इसको एग्जामिन करने का आश्वासन दिया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3, 4, 5 और 6 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 11)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 11)" पारित हुआ।

(ix) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 12)" पर विचार किया जाए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु तथा श्री अनिरूद्ध सिंह, सदस्य ने चर्चा की।

माननीय शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सदन की बैठक का समय 05.00 बजे अपराह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 12)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का विधेयक संख्यांक 12)"पारित हुआ।

8. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल, श्रीमती आशा कुमारी, श्री नन्द लाल, श्री संजय अवस्थी, श्री राजेन्द्र राणा, श्री अनिरूद्ध सिंह, श्री आशीष बुटेल, श्री जगत सिंह, श्री अरुण कुमार,श्री बिक्रम सिंह जरयाल, श्री रोहित ठाकुर, श्रीमती रीता धीमान, श्री सुभाष ठाकुर सदस्यों की ओर से नियम-324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख उठाए गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए समझे गए।

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) **श्री रोहित ठाकुर**, सदस्य द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2022 को प्रस्तुत प्रस्ताव **"प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधाओं"** पर यह सदन विचार करे", पर चर्चा प्रारंभ-

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री रोहित ठाकुर

2. श्री मोहन लाल ब्राक्टा

3. श्री राम लाल ठाकुर

(05.20 बजे अपराह्न श्री नरेन्द्र ठाकुर, सभापति पदासीन हुए)

4. श्री नन्द लाल
5. श्री संजय अवस्थी
6. श्री जगत सिंह नेगी
7. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
8. श्री राकेश सिंघा

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **कर्नल इन्द्र सिंह, सदस्य** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की-

> **"सैनिक अकादमी बरछवाड़(सरकाघाट) में युवाओं के लिए Pre Coaching Classes शुरू करने** पर यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. कर्नल इन्द्र सिंह

(सदन की बैठक का समय 06.00 अपराह्न से 06.45 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

2. श्री जगत सिंह नेगी

माननीय जल शक्ति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सत्र का समापन

सत्र की समाप्ति पर माननीय मुख्य मंत्री ने विस्तृत वक्तव्य देते हुए कहा कि यह वास्तव में एक संयोग ही है कि 13वीं विधान सभा का यह अन्तिम सत्र 13 तारीख को ही समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भले ही एक छोटा राज्य है लेकिन पूरे देशभर मे यह अपनी संस्कृति एवं शालीनता के लिए जाना जाता है। हमारे साधन सीमित हैं लेकिन उसके बाद भी हमने जरूरतमंद लोगों को सहायता देने का प्रयत्न किया है। उन्होंने मंत्रियों के सहयोग तथा हिमाचल के विकास में सभी 68 विधायकों का अपने-अपने क्षेत्र के विकास कार्य को आगे ले जाने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों की योजनाएं बनाने और उनका कार्यान्वयन कर उन्हें लागू करने में बहुत अहम भूमिका रहती है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता का भी सहयोग और मार्गदर्शन हेतु आभार प्रकट किया तथा

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय को विधान सभा के सफल संचालन हेतु बधाई दी। विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों, प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और मीडिया के बन्धुओं तथा सत्र से जुड़े सभी लोगों का भी उन्होंने आभार प्रकट किया।

(06.45 बजे अपराह्न सदन की बैठक का समय 7.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि तेरहवीं विधान सभा के अंतिम सत्र के भाषण का यह अंतिम दौर में चल रहा है। इसके बाद अगली बार विधान सभा धर्मशाला में होगी जोकि नई सोच, नए विज़न और नई इनोवेशन्ज़ के साथ होगी। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें यहां कौंसिल चैम्बर में बैठने का मौका मिला है। उन्होंने साथियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों, प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों और मीडिया के बन्धुओं तथा सत्र से जुड़े सभी लोगों का भी आभार प्रकट किया।

सत्र के समापन पर माननीय अध्यक्ष द्वारा संबोधन

हिमाचल प्रदेश की तेहरवीं विधान सभा का पंद्रहवां सत्र जोकि मानसून सत्र के रूप में आयोजित किया गया है आज पूर्ण सफलता के साथ समापन की ओर अग्रसर है। यह मानसून सत्र 10 अगस्त, 2022 से आरम्भ हुआ तथा इस मानसून सत्र के दौरान कुल 04 बैठकें आयोजित की गई। मैं यहां विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों में अभी तक तेरहवीं विधान सभा की कुल 140 बैठकें आयोजित की गई हैं जो इस बात का परिचायक है कि हम सभी लोकतान्त्रिक प्रणाली में अटूट विश्वास रखते है तथा हिमाचल प्रदेश विधान सभा की उच्च परंपराओं तथा गरिमा का बेहद सम्मान करते हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को स्मरण करवाना चाहूंगा कि कोविड-19 की वजह से वर्ष 2020 का शीतकालीन सत्र हमें स्थगित करना पड़ा। इसके बावजूद भी हम 140 बैठकें करने में कामयाब हुए। मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि इन पांच वर्षों में कुल 10,513 सूचनाएं प्रश्नों के रूप में माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई जिनमें से 7,414 तारांकित और 3,099 अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुए जिन्हें आगामी कार्रवाई हेतु समय-समय पर सरकार को भेजा गया। इन पांच वर्षों में कुल 77 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए और इनमें से 69 का पारण किया गया। इन पांच वर्षों में सभा की समितियों द्वारा कुल 683 प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किए गए। मैं इस सदन को सूचित करना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों में कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया जिसमें हमारा देश व प्रदेश भी इसमें शामिल था। बेहद संकटपूर्ण समय के बावजूद भी हमने शीतकालीन सत्र को छोड़कर सभी सत्र

आयोजित किए। प्रश्न भी हुए, चर्चाएं भी हुईं और बिलों का पारण भी हुआ लेकिन कोविड-19 के लिए तय नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः पालन किया गया। सदन के नेता श्री जय राम ठाकुर को बधाई देना चाहूंगा कि इनके कदम इस भीषण महामारी से डगमगाए नहीं। इन पांच वर्षों में हिमाचल प्रदेश विधान सभा कई कार्यक्रमों की गवाह बनी। वर्ष 2018 में विधान सभा में राष्ट्रमण्डल सम्मेलन जोन-4 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोकसभा की तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन विशेष रूप से उपस्थित रही। सितम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश राज्य स्वर्णिम वर्ष के सुअवसर पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द जी ने इस माननीय सदन को संबोधित किया। मैं आपको स्मरण करवाना चाहूंगा कि सौ वर्ष पहले सन् 1921 में शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उसी समारोह का सहस्त्राब्दि समारोह इस विधान सभा को 16 से 19 नवम्बर, 2021 तक आयोजित करने का मौका मिला जिसमें 23 राज्यों की विधान परिषदों तथा विधान सभा के पीठासीन अधिकारी शामिल हुए। सत्र के दौरान मेरा भरसक प्रयास रहा है कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले। मैं मुख्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री व हमारे नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद करना चाहता हूं जिनकी वजह से इस माननीय सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से मैं संचालित कर पाया। मैं मुख्य सचेतक व उप मुख्य सचेतक का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सदन के दोनों पक्षों के बीच बेहतर समन्वय बनाया। मैं अपने सहयोगी उपाध्यक्ष विधान सभा और सभापति तालिका के तमाम सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं तथा माननीय सदन के समस्त सदस्यों का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस सदन की समय सीमाओं और सदन के नियमों का पालन करते हुए अपने-अपने विषयों को सदन में उठाया।

मैं अंत कहना चाहता हूं कि सत्र के दौरान मेरा यह भरसक प्रयास रहा है कि सत्र की कार्यवाही अच्छे तरीक से चले। मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूं कि पूरे सदन ने मुझे पूरा सहयोग किया। मैं विधान सभा सचिव,समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग के लिए भी उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने प्रतिकूल प्रतिस्थितियों के बावजूद दिन-रात कार्य कर इस सत्र को बढ़िया तरीके से निपटाने में पूरा सहयोग दिया है। मैं पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सभी के लिए पौष्टिक तथा स्वादिष्ट भोजन की समय-समय पर अच्छी व्यवस्था की। मैं प्रिंट/इलैक्ट्रोनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को प्रदेश के जन-जन तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हम सब इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। परसों स्वतंत्रता दिवस है, इसकी मैं आप सभी को तथा प्रदेशवासियों को अग्रिम बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सभी प्रदेशवासी अपने-अपने घरों में तिरंगा फहरा कर इस महोत्सव को यादगार बनाएंगे।

वर्तमान सरकार का यह आखिरी कार्यकाल है। मैं आप सभी को अपना-अपना दायित्व निभाने व कार्यकाल पूर्ण करने की बधाई देता हूं तथा आने वाले समय के लिए अपनी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करूं मैं सभा मण्डप में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रीय गीत गाया गया।)

(07.35 बजे सायं सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)